To increase the Employment in State

***235 Shri. Rao Chiranjeev, M.L.A.:** Will the Chief Minister be pleased to state:-

a) Whether the unemployment has increased in the last eight years in the State; and

b) If so, the steps taken by the Government to increase the employment in the State?

Shri. Manohar Lal, Chief Minister

Sir,

A statement in this regard is laid on the table of the house.

Statement

Sir,

a) In December 2014, a total of 7.86 lacs applicants were registered with various employment exchanges in the State and whereas in February-2023, the figure has been reduced to 6.46 lacs applicants. Thus, the reduced figures over the period indicate that unemployment has not increased in the State for the last eight years.

b) However, following appropriate steps are being taken to facilitate youths of the State:-

- The Government launched the "Educated Youth Allowance and Honorarium Scheme- 2016" popularly known as Saksham Yuva Scheme on 1st November 2016 to provide unemployment allowance and honorarium to the eligible post-graduate youth of Haryana in lieu of 100 hours of honorary work. Later, the Scheme has been extended to include registered Science, Engineering, Science equivalent and Commerce Graduates, Arts graduate of the State. 10+2 pass applicants have also been included in the scheme from August, 2019. Under the Scheme Rs. 3,000/-, Rs. 1500/- and Rs. 900/- are given as Unemployment Allowance to Post Graduates, Graduates and 10+2 pass applicants respectively and 6000/- for honorary assignment to eligible registered Post-Graduate (PG), Graduate(G) and 10+2 pass applicant.
- To enhance employability of the applicants and to cater the market demands for skilled class, appropriate arrangements for skilling of the youth have been done by imparting them skill training through Haryana Skill Development Mission (HSDM) and Shri Vishwakarma Skill University.
- To extend available employment opportunities to youth of State, especially in private sector, the Directorate of Employment is regularly

arranging, Job fairs, placement drives, placement through job aggregators and vacancy notification under Employment Exchanges(Compulsory Notification of Vacancies)Act,1959 (both in public and private sector).

- Also, The Haryana Public Service Commission and Haryana Staff Selection Commission invites application from time to time for various categories of posts, through advertisement and making selection thereof.

राज्य में रोजगार में वृद्धि करना

***235 श्री. राव चिरंजीव, एम.एल.ए.** क्या मुख्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

क) क्या राज्य में पिछले आठ वर्षों में बेरोजगारी बढ़ी है; और

ख) यदि हां, तो राज्य में रोजगार बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

श्री. मनोहर लाल, मुख्यमंत्री

श्रीमान जी,

इस बारे कथन सभा पटल पर रख दिया गया है |

कथन

श्रीमान जी,

क) दिसंबर 2014 में, राज्य में विभिन्न रोजगार कार्यालयों में कुल 7.86 लाख आवेदक पंजीकृत थे और फरवरी-2023 में यह आंकड़ा घटकर 6.46 लाख आवेदकओं का रह गया। इस प्रकार, इस अवधि में घटे हुए आंकड़े बताते हैं कि पिछले आठ वर्षों में राज्य में बेरोजगारी नहीं बढ़ी है।

ख) हालांकि,राज्य के युवाओं की सुविधा के लिए निम्नलिखित उचित कदम उठाए जा रहे हैं: -

- सरकार ने 1 नवंबर 2016 को "शिक्षित युवा भत्ता और मानदेय योजना-2016" शुरू की, जिसे हरियाणा के योग्य स्नातकोत्तर युवाओं को 100 घंटे के मानद कार्य के बदले बेरोजगारी भत्ता और मानदेय प्रदान करने के लिए सक्षम युवा योजना के रूप में जाना जाता है। बाद में, राज्य के पंजीकृत विज्ञान, इंजीनियरिंग, विज्ञान समकक्ष और वाणिज्य स्नातक, कला स्नातक को शामिल करने के लिए योजना का विस्तार किया गया। अगस्त,2019 से 10+2 पास आवेदकों को भी योजना में शामिल किया गया है। योजना के तहत रु. 3,000/-,रु. 1500/- और रु. 900/- पोस्ट ग्रेजुएट्स,ग्रेजुएट्स और 10+2 पास आवेदकों को क्रमशः बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है और पात्र पंजीकृत पोस्ट-ग्रेजुएट (पीजी), ग्रेजुएट (जी) और 10+2 पास आवेदकों को मानद कार्य के लिए 6000/- रुपये दिए जाते हैं।
- आवेदकों की रोजगार क्षमता बढ़ाने और कुशल वर्ग की बाजार की मांग को पूरा करने के लिए युवाओं को हरियाणा कौशल विकास मिशन (एचएसडीएम) तथा श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी के माध्यम से कौशल प्रशिक्षण देकर उनके कौशल विकास की उचित व्यवस्था की गई है।
- राज्य के युवाओं के लिए, विशेष रूप से निजी क्षेत्र में उपलब्ध रोजगार के अवसरों का विस्तार करने के लिए, रोजगार निदेशालय नियमित रूप से मेले,

प्लेसमेंट ड्राइव, जॉब एग्रीगेटर्स के माध्यम से नियुक्ति और रिक्ति अधिसूचना के तहत रोजगार कार्यालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, 1959 (सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों) में रोजगार की व्यवस्था कर रहा है।

- इसके अलावा, हरियाणा लोक सेवा आयोग और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग समय समय पर विभिन्न श्रेणियों के पदों के लिए विज्ञापन और चयन के माध्यम से आवेदन आमंत्रित करता है।